



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231477
CG-DL-E-30112021-231477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4525]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2021/अग्रहायण 8, 1943

No. 4525]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2021/AGRAHAYANA 8, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

का.आ. 4894(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्व कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3170(अ), तारीख 29 जून, 2018 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों या छोड़े गए कार्यों से संबंधित विषय को छोड़कर, केंद्रीय सरकार एतद्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ कहा गया है) का गठन निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए करती है, अर्थात्:

1.	श्री देवाशीष दास, सेवानिवृत्त आईएफएस, भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ वन विभाग, मकान सं.186, आफिसर कॉलोनी, धरमपुरा, कृष्ण नगर, रायपुर (सीजी)	अध्यक्ष
2.	डॉ. दीपक सिन्हा, सहायक आचार्य, रसायन विभाग, नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान सरकारी महाविद्यालय, राजपुर ई-2, आफिसर कॉलोनी, शंकर नगर, रायपुर-492007	सदस्य
3.	सदस्य-सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, नवा राजपुर अटल नगर	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।
3. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।
4. प्राधिकरण छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपना निर्णय लेगा।
5. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की सहायता के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) (इसमें इसके पश्चात एसईएसी, छत्तीसगढ़ कहा गया है) का गठन करेगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	डॉ. बी.पी. नॉनहरे, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा, भूतपूर्व मुख्य वन संरक्षक और भूतपूर्व अपर प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक का कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ सरकार, नवा राजपुर अटल नगर, वार्ड सं. 49, सहयोग मार्ग के साथ, साईं मंगलम के पास, विद्युत नगर, दुर्ग-491010 (सीजी)	अध्यक्ष
2.	डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सहयोगी प्रोफेसर, धातु शोधन और सामग्री अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजपुर-491010	सदस्य
3.	श्री किशन सिंह ध्रुव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना राजपुर, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, नवा राजपुर अटल नगर, डी-72, सेक्टर-1, देवेन्द्र नगर, रायपुर-492009	सदस्य
4.	डॉ. शैलेश कुमार जाधव जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन विद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर-492010, जाधव निवास, जय हिंद चौक, राजातलैब, रायपुर-492001	सदस्य
5.	श्री एन. के. चन्द्रिका 19, नवाजेदवन सोसायटी, पचपेढी नाका, रायपुर	सदस्य
6.	डॉ. मोहम्मद रफीक खान आचार्य इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सरकारी इंजीनियरी महाविद्यालय, जगदलपुर	सदस्य
7.	उप सचिव आवासन और पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार	सदस्य-सचिव

6. एसईएसी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।
7. एसईएसी, छत्तीसगढ़ उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगी।
8. एसईएसी, छत्तीसगढ़ सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि सहमति प्राप्त नहीं हो सकती, बहुमत का विचार अभिभावी होगा।
9. हितों के किसी विवाद से बचने के लिए:
 - (क) प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और किस परियोजना प्रस्तावकों के साथ जुड़े हुए हैं।

- (ख) प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगे, न ही उससे जुड़ेंगे, जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाना है; और
- (ग) यदि गत पाँच वर्ष में प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान की है या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया है, ऐसी स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।

10. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और वह सचिवालय उनके सभी कानूनी कार्यों के संबंध में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगा।

11. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा.सं. जे.11013/41/2007-आई.ए.II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2021

S.O. 4894(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 3170(E), dated the 29th June, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Authority, Chhattisgarh) comprising of the following Members, namely: -

1.	Shri Debasish Das, Retired IFS, Ex. Principal Chief Conservator of Forest, Forest Department of Chhattisgarh. H. No. 186, Officers Colony, Dharampura, Krishak Nagar, Raipur (CG)	Chairman;
2.	Dr. Deepak Sinha, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government Nagarjun Post Graduate College of Science, Rajpur E-2, Officers Colony, Shankar Nagar, Raipur-492007	Member;
3.	Member Secretary, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Nava Rajpur Atal Nagar.	Member - Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Chhattisgarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Chhattisgarh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
4. The Authority, Chhattisgarh shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Chhattisgarh.
5. For the purpose of assisting the Authority, Chhattisgarh, the Central Government, in consultation with the State Government of Chhattisgarh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as SEAC, Chhattisgarh) comprising of the following Members, namely: -

1.	Dr. B.P. Nonhare, Retired Indian Forest Service, Ex-Chief Conservator of Forest and Ex. Additional Managing Director, O/o M.D., Chhattisgarh State Forest Development Corporation, Government of Chhattisgarh, Nava Rajpur Atal Nagar. Ward No. 49, Beside Sahyog Marg, Near Sai Manglam, Vidyut Nagar, Durg-491001 (CG)	Chairman;
2.	Dr. Manoj Kumar Chopkar, Associate Professor, Department of Metallurgical and Materials Engineering National Institute of Technology Raipur - 491010	Member;
3.	Shri Kishan Singh Dhruv, Retired Chief Engineer, Mahanadi Project Raipur, Water Resources Department, Government of Chhattisgarh, Nava Rajapur Atal Nagar, D-72, Sector-1. Devendra Nagar, Raipur-492009	Member;
4.	Dr. Shailesh Kumar Jadhav School of studies in Biotechnology, Pt Ravishankar Shukla University, Raipur-492010, Jadhav Niwas, Jai Hind Chowk, Rajatlab, Raipur-492001	Member;
5.	Shri. N. K. Chandrika 19, Navajedvan Society, Pachpedhi Naka, Raipur	Member;
6.	Dr. Mohammad Rafique Khan Professor Electronics Engineering Government Engineering College, Jagadapur	Member;
7.	Deputy Secretary Housing and Environment Department, Government of Chhattisgarh	Member - Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Chhattisgarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
7. The SEAC, Chhattisgarh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
8. The SEAC, Chhattisgarh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
9. In order to avoid any conflict of interest -
 - (a) the Chairman and Members of the Authority, Chhattisgarh and SEAC, Chhattisgarh shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
 - (b) the Chairman and Members of the Authority, Chhattisgarh and SEAC, Chhattisgarh shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Chhattisgarh and SEAC, Chhattisgarh during their tenure; and

- (c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Chhattisgarh and SEAC, Chhattisgarh have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Chhattisgarh and SEAC, Chhattisgarh in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Chhattisgarh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Chhattisgarh and SEAC, Chhattisgarh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Chhattisgarh and SEAC, Chhattisgarh shall be paid as per the rules of the State Government of Chhattisgarh.

[F. No. J.11013/41/2007-IA.II(I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.